यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री दिवांशु शर्मा (आर0ए0एस0)

प्र. सं. 02/2020 अपील

बउनवान

ऋषिराज गोचर पुत्र चतुर्भुज उर्फ चतरा आयु 39 वर्ष जाति गूजर निवासी कलमण्डा तह0 व जिला बारां

अपीलांट

बनाम

1. किशोरी वाई पत्नि चमरा जाति गुर्जर
2. गोपाली पत्नि गोबरया जाति गुर्जर
3. द्वारकालाल पुत्र मोहनलाल जाति गुर्जर
4. नन्द बिहारी पुत्र चतरा जाति गुर्जर
5. बादाम पत्नी स्व0 मोहनलाल जाति गुर्जर
6. भगवती शंकर पुत्र चतरा जाति गुर्जर
7. राजेन्द्र पुत्र गोवरिया जाति गुर्जर
8. संतोष वाई पत्नि स्व0 कमलेश गुर्जर
9. मोनू पुत्र कमलेश नाबालिग जर्ये संरक्षक माता संतोष बाई जाति गुर्जर निवासीगण कलमण्डा तहसील बारां व जिला बारां

रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थितः– 1. श्री ओमप्रकाश मेहता II अपीलांट
2. श्री सिमरनजीत सिंह एड0 रेस्पो0

निर्णय दिनांक :– 10.03.2021

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कलमण्डा की आराजियातो के संदर्भ में इंतकाल कमांक 608 सहखातेदार चतरा पुत्र किशना के देहान्त होने पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 13.06.2000 को खोला गया जिस पर 22.06.2000 को आई.एल.आर. की रिपोर्ट है। जिसमें मृतक चतरा के सजरा जो दिया गया है। उसमें नन्दविहारी, कमलेश, ऋषिराज, भगवतीशंकर पुत्रगण व किशोरी बाई बेवा दर्शाया गया है किन्तु ग्राम पंचायत कलमण्डा द्वारा दिनांक 22.06.2000 को इंतकाल तस्दीक करते वक्त सरपंच रामनाथीबाई द्वारा खातेदार चतरा फोत हो चुका है मृतक के स्थान पर पुत्र नन्दविहारी कमलेश, गिरिराज, भगवतीशंकर व किशोरी बाई पत्नि के समभाग में दर्ज हो लिखते हुये

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2021.04.22 16:40:07 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner

अपने हस्ताक्षर कर दिये गये जबकि मृतक चतरा के गिरीराज नाम का कोई पुत्र नहीं है। सरपंच द्वारा सहवन से ऋषिराज के स्थान पर गिरिराज अंकित कर दिया गया जबकि हल्का पटवारी द्वारा खोले गये इंतकाल में जो सजरा दिया गया है उसमें भी गिरिराज कहीं अंकित नहीं किया गया है। ऋषिराज ही दर्ज किया गया है। इस प्रकार इंतकाल क्रमांक 608 दिनांक 22.06.2000 में सहवन से अपीलांट का नाम ऋषिराज के स्थान पर गिरिराज दर्ज हो गया है। इसलिये अपीलांट इंतकाल क्रमांक 608 में अपना ना गिरिराज के स्थान पर ऋषिराज दर्ज कराने का अधिकारी है। अपीलांट का नाम आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेजात में ऋषिराज पुत्र चजुर्भुज दर्ज है। इसलिये अपीलांट इन्तकाल क्रमांक 608 में ग्राम पंचायत कलमण्डा के सरपंच द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त कराकर अपने खाते में अपना नाम गिरिराज के स्थान पर ऋषिराज व पिता का नाम चतरा उर्फ चतुर्भुज कराने का अधिकारी एवं नालिशी है। अपीलांट को हल्का पटवारी से जानकारी करने पर हुई जिसके बाद इंतकाल की नकल प्राप्त की गई व नकल प्राप्त करने से अपील अन्दर मियाद है। मियाद के लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम कलमण्डा का इंतकाल क्रमांक 608 दिनांक 22.06.2000 ग्राम पंचायत कलमण्डा को दुरूस्त कर अपीलांट का नाम गिरिराज के स्थान पर ऋषिराज व पिता का नाम चतरा के साथ चतरा उर्फ चतुर्भुज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाये।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट की ओर से जरिय अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अपील स्वीकार है। चतरा जी के गिर्राज नाम का कोई पुत्र नहीं है। ऋषिराज चतरा जी का ही पुत्र है गलती से उसका नाम गिर्राज कर दिया गया है। जिसे ठीक करने में हमे कोई आपत्ति नहीं है।

हमने बहस अपीलान्ट एवं रेस्पोडेण्ट की सुनी गई। दौराने बहस अपीलांट ने ग्राम कलमण्डा की आराजियातो के संदर्भ में इंतकाल क्रमांक 608 सहखातेदार चतरा पुत्र किशना के देहान्त होने पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 13.06.2000 को खोला गया जिस पर 22.06.2000 को आई.एल.आर. की रिपोर्ट है। जिसमें मृतक चतरा के सजरा जो दिया गया है। उसमें नन्दबिहारी, कमलेश, ऋषिराज, भगवतीशंकर पुत्रगण व किशोरी बाई बेवा दर्शाया गया है किन्तु ग्राम पंचायत कलमण्डा द्वारा दिनांक 22.06.2000 को इंतकाल तस्दीक करते वक्त सरपंच रामनाथीबाई द्वारा खातेदार चतरा फोत हो चुका है मृतक के स्थान पर पुत्र नन्दबिहारी कमलेश, गिरिराज, भगवतीशंकर व किशोरी बाई पत्नि का नाम समभाग में दर्ज हो लिखते हुये अपने हस्ताक्षर कर दिये गये जबकि मृतक चतरा के गिरीराज नाम का कोई पुत्र नहीं है। सरपंच द्वारा सहवन से ऋषिराज के स्थान पर गिरिराज अंकित कर दिया गया जबकि हल्का पटवारी द्वारा खोले गये इंतकाल में जो सजरा दिया गया है उसमें भी गिरिराज कहीं अंकित नहीं किया गया है। ऋषिराज ही दर्ज किया गया है। इस प्रकार इंतकाल क्रमांक 608 दिनांक 22.06.2000 में सहवन से अपीलांट का नाम ऋषिराज के स्थान पर गिरिराज दर्ज हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2021.04.22 16:40:07 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner

इसलिये अपीलांट इंतकाल क्रमांक 608 में अपना ना गिरिराज के स्थान पर ऋषिराज दर्ज कराने का अधिकारी है। अपीलांट का नाम आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेजात में ऋषिराज पुत्र चजुर्भुज दर्ज है। इसलिये अपीलांट इन्तकाल कमांक 608 में ग्राम पंचायत कलमण्डा के सरपंच द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त कराकर अपने खाते में अपना नाम गिरिराज के स्थान पर ऋषिराज व पिता का नाम चतरा उर्फ चतुर्भुज कराने का अधिकारी एवं नालिशी है।

रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के माध्यम से वांछित अनुतोष पर अनापत्ति की है।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य पाई गई।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम कलमण्डा का नामान्तरण संख्या 608 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ तहसीलदार, बारां को प्रति प्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान की विधिवत सुनवाई कर बाद विस्तृत जांच तथा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार पुनः नये सिरे सक विधिवत् नामांतरण दर्ज करने के सम्बंध में नियमानुसार कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा) RAS
उपखण्ड अधिकारी,
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2021.04.22 16:40:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner